(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 19/2019

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ

(प्रार्थी)

ब्नाम

श्री सोनू कुमार पुत्र श्री रामचरण जांगिड उम्र 25 वर्ष जाति खाती निवासी मण्डोला छापर राजीव धर्मशाला के पास वार्ड नं0 9 बारॉ जिला बारॉ। मैसर्स श्री गणेश दूध डेयरी, दीन दयाल पार्क बंक रोड बारॉ जिला बारॉ (मो.) 9887853306

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 विनियम, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री वेद प्रकाश पूर्विया (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 16.9.2019

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.02.2019 को श्री गणेश दूध डेयरी, दीन दयाल पार्क बंक रोड बारॉ जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री सोनू कुमार पुत्र श्री रामचरण जांगिड **(मौक पर मौजूद मालिक व विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 28.02.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/201/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध रखा हुआ था। जिसमे मिलावट का शक होने पर उसमे से 2 लीटर मिश्रित दूध वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री सोनू कुमार पुत्र श्री रामचरण जांगिड को राशि 80/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सोनू कुमार पुत्र श्री रामचरण जांगिड ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री सोनू कुमार को देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रित दूध को चार भागो मे विभक्त कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी सकडे मुह की शिशिया दिखाकर प्रत्येक नमुना भाग को प्रत्येक शिशि मे डाला एवं प्रत्येक नमुना शिशियो मे बतोर प्रिजरवेटीव 40–40 बूंद फोरमेलीन की डालकर ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक शिशि पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–905 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना शिशियो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना शिशि पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच. 905 नियमानुसार चारो नमूना शिशियो पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना शिशि पर विक्रेता एवं गवाहो के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे तथा मेने भी नमुना शिशियो पर हस्ताक्षर कर चारो नमूना शिशियो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/98 दिनांक 02.04.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 147/FSSA/Kota/Act/2019/172 दिनांक 28.3.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मिश्रित दूध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3 (1)(ZX) के तहत **अवमानक** (Sub Standard) होना पाया गया।

उक्त केस मे श्री सोनू कुमार पुत्र श्री रामचरण जांगिड (विक्रेता व मालिक) श्री गणेश दूध डेयरी, दीन दयाल पार्क बंक रोड बारॉ जिला बारॉ ने **अवमानक** (Sub Standard) मिश्रित दूध विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत श्री सोनू कुमार पुत्र श्री रामचरण जांगिड (विक्रेता व मालिक) श्री गणेश दूध डेयरी, दीन दयाल पार्क बंक रोड बारॉ जिला बारॉ से नियमानुसार वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर प्रकरण दिनांक 01.08.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर, अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

राज0 सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा प्रकरण मे दौराने बहस कहा कि अप्रार्थी द्वारा जिस दूध का विक्रय किया जा रहा था वह जॉच मे **अवमानक** (Sub Standard) होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृतय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी ने कहा कि मैं अन्य दूध विक्रेताओ से 30/— रूपये प्रति किलो के हिसाब से दूध क्रय करके डेयरी पर उसी दूध का विक्रय 40/— रूपये प्रति किलो के हिसाब से करता हूँ। उक्त दूध मे मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नही की गई है। मेरी छोटी सी दुकान है जो ज्यादा नही चलती है। भविष्य मे अच्छा क्वालिटी वाला दूध विक्रय करूगां। मुझे अपराध से क्षमा प्रदान की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया अप्रार्थी के पास से क्रय किया गया मिश्रित दूध जॉच मे **अवमानक** (Sub Standard) होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(।।) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 6,000/— रूपये अक्षरे छ हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.25 16:44:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: